



प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग**लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2026**

विषय:- सार्वजनिक रामलीला मैदान का सुदृढीकरण/सौंदर्यीकरण आदि विकास का कार्य हेतु **56- सार्वजनिक रामलीला मैदानों/ स्थलों का विकास, विस्तार, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य-** 24- वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्राविधान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 83/2026/ 820/चार-2026-1937689 दिनांक 16 मार्च, 2026 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या- 83/2026/ 820/चार-2026-1937689 दिनांक 16 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या- 83/2026/ 820/चार-2026-1937689 दिनांक 16 मार्च, 2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्र०-7 के सम्मुख अंकित कार्यदायी संस्था का नाम टंकण त्रुटिवश 'यू० पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०' के स्थान पर 'सी० एंड डी० एस०' अंकित हो गया है।

3. इस संबंध में उक्त शासनादेश संख्या- 83/2026/ 820/चार-2026-1937689 दिनांक 16 मार्च, 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्र०-7 के सम्मुख कार्यदायी संस्था का नाम 'सी० एंड डी० एस०' के स्थान पर 'यू० पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०' पढ़ा जाए।

4. उक्त शासनादेश संख्या- 83/2026/ 820/चार-2026-1937689 दिनांक 16 मार्च, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
- 5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।